

नियम 108 : आदेश का सुधार

- (1) अपील अधिकरण के किसी आदेश में किसी लिपिकीय त्रुटि या किसी आकस्मिक चूक या लोप से उत्पन्न होने वाली किसी त्रुटि को किसी भी समय अपील अधिकरण द्वारा स्वप्रेरणा से या सुधार के माध्यम से किसी पक्षकार के द्वारा आवेदन किए जाने पर ठीक किया जा सकेगा।
 - (2) उपनियम (1) के अधीन कोई आवेदन आनलाइन किया जाएगा जिसके अंतर्गत सुधार के लिए अंतिम आदेश की तारीख से एक मास के भीतर **जीएसटीएटी प्ररूप-01** में यथाविहित सभी जानकारी सम्मिलित होगी।
-